**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**

**बहादुरशाह जफ़र मार्ग**

**नई दिल्ली–110002**

वेब साइट : www.ugc.ac.in दिसम्बर, 2011

EPABX Nos. : 236735/9437/5733/2701/7721/2317/4116/6351/0813/2485/1854.

## सार्वजनिक सूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसके ऊपर इस देश में उच्चतर शिक्षा के मानकों को अनुरक्षित करने का दायित्व है इस आयोग के लिए यह एक गहन चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से अमान्य/जाली विश्वविद्यालय/संस्थानों की अनियन्त्रित रूप से अभिवृद्धि होती जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संज्ञान में यह बात समय–समय पर आती रही है कि कुछ अमान्य/अपात्र विश्वविद्यालय/संस्थान बिना किसी संबद्ध सांविधिक परिषदों के उपयुक्त अनुमोदन के, बिना विभिन्न विषयों में स्नातक स्तर/स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार, किसी डिग्री को प्रदान करने अथवा स्वीकृत करने का निष्पादन केवल मात्र किसी भी ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जा सकेगा जो कि किसी केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित हो अथवा वह एक ऐसा सम–विश्वविद्यालय हो, अथवा एक ऐसा संस्थान हो जिसको कि लोकसभा अधिनियम के अन्तर्गत विशेष रूप से समर्थित/सशक्त किया गया हो। इसी प्रकार से, कोई भी ऐसा संस्थान– जो कि विश्वविद्यालय से पृथक रूप वाला है तथा जिसे कि किसी केन्द्र अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा निगमित किया गया है ऐसे संस्थान ही अधिकृत होगा कि वह अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय शब्द को युग्मित करे चाहे वह किसी भी मामले के संदर्भ में क्यों न हो। नौ राज्यों में निम्नांकित 21 स्व–अभिकल्पित, अमान्य संस्थानो को यूजीसी द्वारा अभिलक्षित किया गया है जो कि यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध कार्यरत है। यह समस्त संस्थान जाली घोषित कर दिये गए हैं। तथा किसी डिग्री को प्रदान करने अथवा स्वीकृत करने का कोई अधिकार इन संस्थानों को नहीं है।

## बिहार

1. मैथिली विश्वविद्यालय/ यूनिवर्सिटी, दरभंगा, बिहार।

## दिल्ली

2. वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (यू.पी)/जगतपुरी, दिल्ली।
3. कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली।
4. यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
5. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
6. ए.डी.आर–सेन्ट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी,एडीआर हाउस, 8 जे–गोपाला टॉवर, 25 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110008
7. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइन्स एण्ड इंजीनियरिंग, नई दिल्ली।

## कर्नाटक

8. बडागानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी, गोकाक, बेलगाम (कर्नाटक)।

## केरल

9. सेंट जॉन विश्वविद्यालय, कृष्णट्म, केरल।

## मध्य– प्रदेश

10. केसरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (म.प्र.)।

## महाराष्ट्र

11. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर।

## तमिल नाडु

12. डी.डी.बी. संस्कृत विश्वविद्यालय, पुत्तुर, त्रिची, तमिलनाडु ।

## पश्चिम बंगाल

13. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता।

## उत्तर प्रदेश

14. महिला ग्राम विद्यापीठ /विश्वविद्यालय (वीमेन्स यूनिवर्सिटी), प्रयाग, इलाहाबाद (यू.पी.)।
15. गाँधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग इलाहाबाद (यू.पी.)।

16. नेशनल यूनिवर्सिटी आफ़ इलेक्ट्रो कम्प्लेक्स होमियोपैथी, कानपुर, (यू.पी.)।

17. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी), अचलताल, अलीगढ, (यू.पी.)।

18. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कला, मथुरा (यू.पी.)।

19. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (यू.पी.)।

20. इन्द्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, खोडा, माकनपुर, नोएडा, फेज–(II) (यू.पी.)।

21. गुरूकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा (यू.पी.)।

*** भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – यह मामला जिला न्यायाधीश, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है।**

ऐसे जितने भी स्व–अभिकल्पित अमान्य एवं ग़ैर–अनुमोदित संस्थान हैं उन्हें एतदद्वारा चेतावनी दी जाती है कि उनके द्वारा स्नातक पूर्व अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को संचालित करने अथवा भ्रामक विज्ञापन देने की प्रक्रियायें कठोर कार्यवाही का माध्यम सिद्ध होंगे जोकि विहित कानूनों के प्रावधानों के अन्तर्गत हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता)

यह सामान्य सूचनार्थ व्यक्त किया जा रहा है कि इच्छुक छात्रों को परामर्श चेतावनी दी जा रही है कि वे ऐसे स्व–अभिकल्पित अमान्य एवं ग़ैर–अनुमोदित संस्थानों में उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों का अनुसरण न करें। ऐसे संस्थानों के साथ डिग्रियाँ प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक अध्ययन का अनुसरण करने के लिए यदि कोई संबंध रखता है तो ऐसा वह छात्र/छात्रा अपने ही जोखिम / दायित्व पर करेगा/करेगी।

विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए प्रयासरत छात्रों को वहाँ पर प्रवेश लेने से पूर्व उस विश्वविद्यालय/संस्थान की प्रतिष्ठा एवं उनकी कार्य अवधि तथा इसके साथ ही उस विश्वविद्यालय के प्रत्यायन के विषय में स्वयं को पूरी तरह आश्वस्त कर लेना चाहिए। ऐसे छात्रों को यह परामर्श भी दिया जाता है

कि वे "भारतीय विश्वविद्यालय सभा" (A.I.U.) की वेबसाइट ("http://www.aiuweb.org.) का सूचनार्थ एवं विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रत्यायन तथा उनके द्वार संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी मिल सके।

अतः छात्रों को उनके माता–पिता एवं जन सामान्य को परामर्श दिया जाता है कि विश्वविद्याल अनुदान आयोग की वेबसाइट (www.ugc.ac.in), ए.आइ.सी.टी.ई.(www.aicte.ernet.in) एवं डी.ई.सी.(www.dec.ac.in) का उपयोग करें तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने से पूर्व वे पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि यह सूची ऐसे पात्र भारतीय विश्वविद्यालयों/ संस्थानों की ही है। यदि उनके संस्थान में कोई अवैध अथवा अमान्य विश्वविद्यालय/संस्थान आते हैं तो उनके विषय में या तो यूजीसी के ध्यान में अथवा उपयुक्त सांविधिक नियामक निकायों/परिषदों के ध्यान में वह लाया जाना चाहिए।

(नीलोफर आदिल काज़मी)

सचिव